ORDER - SHEET

12310 01 order of Proceeding Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer 5 Signature of President Officer 5 Signatur

pleaders where Necessary

25-5-17 आज आरक्षी केन्द्र गारिष्टा के उपनिरीक्षक / सहायक आरक्षक / आरक्षक । लपनिरीक्षक / प्रधान क0 अवग्र हारा थाना प्रभारी की अरे से क0 33/17 अंतर्गत धारा 34 अल्लारी एम्ट भाठदं०सं०/ अधीन् दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग -पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री एखनारणार उप०।

अभियुक्त / अभियुक्तुगण शिश्वा शिश्वाम् अशियुक्त । शिभ्याम्

उट २० लप निवासी । निवासी गण क्षीर पुर वार्य । खिलक्ष्य काण थाना कम्पू जिला उवालिए राज्य मुठ उठ

उपरिधत। अभियुक्त / अभियुक्त गण की ओर से अधिवक्ता श्री द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तृत किया।

अभियोग पत्र /परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उंपरोक्तान्सार। भारदंग्सं० / 34 अवकारी कर अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा। 190-(1) द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश कियः जाता है।

प्रकरणं का पंजीयन आपराधिक पजी 95/17 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन प्रावधानों। के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगणः की ओर से 7000/- (सात हजार रूपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि। का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त। किया जाये।

चूकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अत संक्षिप्त विचारण प्रारम किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरिवत कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिदाक् यथा संभव उसंके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध रचीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं \$100 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के सदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त कोठी दिवस का साधारण कारावास भ्गताया जावे।

निर्णय की निः शुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली

। जाये।

जप्तसुदा संपत्ति १००० मृत्यहीन होने से नष्ट कर किये जाये। संपत्ति १००० देश मृत्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटायां, जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपृति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

Judicial magistrate first class, Gohad Dist.Bhind (M.P)

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की स्ताये अदा की जिसकी पावती

किंग 6902 रसीट केंग 3.6 रो अभियुक्त / अभियुक्त गण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निदेश अन्सार संचित हो।

JA.K. Gunt

Judicial magistrate first class,

Gohad Dist Bhind (MD